समक्ष - डी. वी. सहगल जे.

पुष्पमाला जैन - याचिकाकर्ता

बनाम

बैंक ऑफ बड़ौदा और अन्य - प्रतिवादी

सिविल पुनरीक्षण क्रमांक ऑफ़ 1987

26 अक्टूबर 1988.

सिविल प्रक्रिया संहिता (V ऑफ़ 1908)– धारा 47, 60(1) (ccc), 0.38, नियम 5 आदेश 11– सीमा अधिनियम (XXXVI ऑफ़ 1963)– अनुच्छेद 137–अपील में डिक्री की पुष्टि– उसका निष्पादन–संहिता की धारा 47 के तहत आपत्तियां दाखिल करने की सीमा अवधि–चाहे डिक्री की तारीख से चलती हो।

अभिनिर्णित - सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के धारा 47 के प्रावधानों को डिक्री पारित होने के बाद ही लागू किया जा सकता है। डिक्री से पहले की अवधि के दौरान पक्षों के बीच किसी भी विवाद का निर्णय मुकदमे के लंबित रहने के दौरान एक विवाद होगा और एस के दायरे में नहीं आएगा।

(पैरा 5)

अभिनिर्णित - आदेश XXXVIII नियम । का एक खुला वाचन आयोजित किया गया। संहिता की धारा 11 उचित निर्माण की ओर ले जाती है कि जिस क्षण वादी के पक्ष में डिक्री पारित

की जाती है, निर्णय से पहले की कुर्की डिक्री के निष्पादन में कुर्की के रूप में काम करेगी और यह डिक्री की तारीख से प्रभावी होगी, उससे पहले नहीं। यह। इसलिए, यह माना जाना चाहिए कि धारा के तहत आवेदन दाखिल करने के लिए सीमा की निर्धारित अवधि। संहिता का धारा 47 डिक्री पारित होने के दिन से शुरू होता है।

(पैरा 6)

आपत्ति याचिका को खारिज करने वाले श्री जे. डी. चंदना एचसीएस, वरिष्ठ उप न्यायाधीश, रोहतक के न्यायालय के 16 मई, 1987 के आदेश के पुनरीक्षण के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 115 के तहत याचिका।

याचिकाकर्ताओं की ओर से अशोक भान, वरिष्ठ अधिवक्ता ए.के.मित्तल।

प्रतिवादी की ओर से पुनीत जिंदल, वकील।

निर्णय

डी. वी. सहगल, जे.

(1) यह पुनरीक्षण याचिका ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित 5 जनवरी 1983 की डिक्री के निष्पादन के दौरान विद्वान वरिष्ठ उप-न्यायाधीश, रोहतक द्वारा पारित 16 मई, 1987 के आदेश के खिलाफ निर्देशित है, जिसकी पुष्टि की गई थी। 23 जुलाई, 1984 को विद्वान जिला न्यायाधीश द्वारा अपील। उक्त डिक्री के निष्पादन की मांग बैंक ऑफ बड़ौदा प्रतिवादी नंबर 1 ने रुपये

की राशि का दावा करते हुए की थी। निर्णय देनदारों से 10,91,280 रु. यह विवाद में नहीं है कि मुकदमे के लंबित रहने के दौरान, वर्ष 1979 में ट्रायल कोर्ट द्वारा फैसले से पहले आपत्तिकर्ता-याचिकाकर्ता की संपत्ति कुर्क कर ली गई थी।

(2) याचिकाकर्ता ने वर्ष 1984 में निष्पादन कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान तत्काल आपत्ति याचिका दायर की, जिसमें दावा किया गया कि विवादित संपत्ति सराय मोहल्ला, रोहतक में स्थित एक आवासीय घर है। वह और उसके बेटे उक्त मकान में अपना निवास बना रहे हैं। वह एक विधवा है जिसके पास आय का कोई अन्य स्रोत नहीं है। इसलिए, उसने दावा किया कि आवासीय घर होने के कारण संपत्ति कुर्की से मुक्त है। हालाँकि, इस आपत्ति याचिका को विद्वान निष्पादन न्यायालय ने, आक्षेपित आदेश के तहत, खारिज कर दिया है।

(3) इसमें कोई विवाद नहीं है कि रिकॉर्ड के साक्ष्य स्पष्ट रूप से बताते हैं कि भवन के हिस्से में भूतल और पहली मंजिल के अलावा एक दुकान किरायेदारों के साथ किराए पर है। दरअसल, बैंक डिक्री-धारक, प्रतिवादी नंबर 1, भूतल और पहली मंजिल पर किरायेदार है, जबकि बैठक के आकार के एक कमरे का उपयोग दूसरे किरायेदार द्वारा दुकान के रूप में किया जा रहा है। उदे भान और अन्य बनाम कपूर चंद और अन्य[1] में इस न्यायालय की पूर्ण पीठ के फैसले के मद्देनजर, इमारत का जो हिस्सा किराए पर दिया गया है, उसे याचिकाकर्ता के कब्जे में आवासीय घर के रूप में नहीं माना जा सकता है। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 60(1)

[1] 1966 PLR 591

(ccc) (संक्षेप में 'संहिता')। जहां तक इस कानूनी स्थिति का सवाल है, इसमें शायद ही कोई विवाद हो सकता है।

(4) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील का तर्क है कि शेष संपत्ति के संबंध में, जिसमें दूसरी मंजिल शामिल है, निष्पादन न्यायालय ने उसकी आपत्ति याचिका को खारिज करते हुए अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने में गलती की है। उनकी आपत्तियों को दो बिंदुओं पर खारिज कर दिया गया है। सबसे पहले, ये परिसीमा अधिनियम, 1963 के अनुच्छेद 137 द्वारा निर्धारित सीमा की अवधि समाप्त होने के लंबे समय बाद दायर किए गए थे। दूसरे, याचिकाकर्ता यह साबित करने में सक्षम नहीं है कि वह अपने बच्चों के साथ दूसरी मंजिल पर रह रही है। उस भवन का जो किरायेदारों को किराए पर नहीं दिया गया है।

(5) याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अशोक भान का कहना है कि संहिता की धारा 47 के तहत आपत्तियां दर्ज करने की सीमा अवधि अपीलीय न्यायालय के फैसले की तारीख से शुरू होगी, यानी। 23 जुलाई, 1984. फैसले से पहले कुर्की की तारीख से परिसीमा शुरू नहीं हो सकती थी, क्योंकि डिक्री पारित होने तक संहिता की धारा 47 के तहत कोई आपत्ति दायर नहीं की जा सकती थी। मुझे इस समर्पण में बल नजर आता है। संहिता के आदेश XXXVIII, नियम 5 के तहत फैसले से पहले कुर्की के आदेश का उद्देश्य वादी के हितों को सुरक्षित करना है, यदि मुकदमे का फैसला अंततः उसके पक्ष में हो। संहिता की धारा 47 में प्रावधान है कि जिस मुकदमे में डिक्री पारित की गई थी, उसके पक्षकारों या

उनके प्रतिनिधियों के बीच और डिक्री के निष्पादन, निर्वहन या संतुष्टि से संबंधित सभी प्रश्न, डिक्री निष्पादित करने वाले न्यायालय द्वारा निर्धारित किए जाएंगे और अलग मुकदमे से नहीं. इस प्रकार, संहिता की धारा 47 के प्रावधानों को डिक्री पारित होने के बाद ही लागू किया जा सकता है। डिक्री की कार्यवाही की अवधि के दौरान पक्षों के बीच किसी भी विवाद का निर्णय मुकदमे के लंबित रहने के दौरान एक विवाद होगा और संहिता की धारा 47 के दायरे में नहीं आएगा।

(6) आदेश XXXVIII, संहिता का नियम 11, प्रावधान करता है कि जहां संपत्ति निर्णय से पहले कुर्की के अधीन है और बाद में वादी के पक्ष में डिक्री पारित की जाती है, ऐसी डिक्री के निष्पादन के लिए आवेदन करने पर यह आवश्यक नहीं होगा कि संपत्ति की पुनः कुर्की. इस प्रावधान को मात्र पढ़ने से इसका उचित निर्माण होता है कि जिस क्षण वादी के पक्ष में डिक्री पारित की जाती है, निर्णय से पहले की कुर्की डिक्री के निष्पादन में कुर्की के रूप में काम करेगी और यह उस तारीख से प्रभावी होगी डिक्री का और उससे पहले का नहीं. इसलिए, मेरे विचार में, याचिकाकर्ता द्वारा संहिता की धारा 47 के तहत आवेदन दाखिल करने की निर्धारित सीमा अवधि 5 जनवरी, 1983 को शुरू हुई जब डिक्री पारित हुई। इसलिए, याचिकाकर्ता की आपत्तियां समय के भीतर थीं।

(7) विद्वान निष्पादन न्यायालय ने पाया है कि याचिकाकर्ता यह दिखाने के लिए राशन-कार्ड, मतदाता सूची, बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र आदि के रूप में रिकॉर्ड साक्ष्य लाने में सक्षम नहीं है कि वह दूसरी मंजिल पर रह रही है। विवाद में इमारत.

(8) मैंने पार्टियों द्वारा रिकॉर्ड पर पेश किए गए सबूतों का अध्ययन किया है। याचिकाकर्ता का साक्ष्य इस बात के लिए सकारात्मक है कि वह अपने बच्चों के साथ विवादित इमारत की दूसरी मंजिल पर रहती है। जिरह में उससे केवल इतना ही कहा जा सका कि पारिवारिक संपत्ति के बंटवारे के दौरान उसके बच्चों को अलग-अलग हिस्से मिले, लेकिन उससे इस आशय का कोई सवाल नहीं पूछा गया कि वह या उसके बच्चे दूसरी मंजिल के अलावा किसी अन्य घर में रह रहे हैं। विवाद में निर्माण. इसमें कोई संदेह नहीं, श्री सी.एल. कालरा डी.डब्ल्यू. 1, जो कि हिसार में डिक्री धारक बैंक की शाखा का प्रबंधक था, ने कहा कि उसने याचिकाकर्ता को अपने बच्चों के साथ उस इमारत के ऊपरी हिस्से में रहते हुए नहीं देखा है, जहां बैंक की शाखा स्थित है, लेकिन उसने जिरह में यह नहीं बता सका कि याचिकाकर्ता और उसके बच्चे कहां रहते थे या विवादित इमारत की दूसरी मंजिल पर और कौन रहता था। रिकॉर्ड पर साक्ष्य की उचित सराहना करने पर, यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता ने निर्विवाद सबूत पेश किया है कि वह विवादित इमारत की दूसरी मंजिल पर अपने बच्चों के साथ रह रही है, जिसके परिणामस्वरूप डिक्री के निष्पादन में कुर्की और बिक्री से छूट दी गई है। संहिता की धारा 60(1) (ccc) के तहत।

(9) नतीजतन, मैं इस पुनरीक्षण याचिका को स्वीकार करता हूं और मानता हूं कि विवादित इमारत की दूसरी मंजिल को संहिता की धारा 60(1) (ccc) के तहत कुर्की से छूट है और इसे डिक्री के निष्पादन में बेचा नहीं जा सकता है। हालाँकि, लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा। निष्पादन न्यायालय अब कानून के अनुसार निष्पादन आवेदन पर आगे बढ़ेगा।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

रितिज़ अरोड़ा

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(TRAINEE JUDICIAL OFFICER)

(हरियाणा)